उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग2-

संख्या-1250/ग्यारह-2-24-9(47)/17-टी0सी0-268-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(331)-2024

लखनऊः दिनांकः 29-10-2024

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम,2017(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) जिसे आगे इस अधिसूचना में "उक्त अधिनियम" कहा गया है, की धारा 51 के साथ पठित धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल,परिषद की सिफारिशों पर, एतदद्वारा, अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-2030/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(153)-2018 दिनांक 22-10-2018, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

पूर्वोक्त संशोधन अधिसूचना में,-

(i) खण्ड (ग) के पश्चात् और प्रथम परन्तुक के पूर्व, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा,-

"(घ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (अधिनियम संख्या 51 सन्1975) की प्रथम अनुसूची में अध्याय 72 से 81 के अधीन आने वाले, धातु स्क्रैप की पूर्ति प्राप्त करता है";

ii) तीसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रख दिया जाएगा, अर्थात-

"परंतु यह भी कि इस अधिसूचना की कोई बात, ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति पर लागू नहीं होगी जो उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) के अधीन विनिर्दिष्ट एक व्यक्ति से किसी अन्य व्यक्ति के मध्य, इस अधिसूचना के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट व्यक्ति के सिवाय, होता है।"

2- यह अधिसूचना 10 अक्टूबर, 2024 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

Signed by

M Devaraj

(एम0 देवराज)

प्रमुख सचिव।

Date: 29-10-2024 18:20:42